विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड,

नई दिल्ली

निविदा संदर्भ संख्या :आईसीडब्ल्यूए/551/9/2018

दिनांक : 19 जनवरी 2020

<u>खानपान सेवाओं के लिए निविदा</u>

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड में खान-पान सेवाएं प्रदान करने के लिए ,दो प्रणाली के अंतर्गत , दो वर्ष की अवधि के लिए , ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करती है, जिसे एक वर्ष की अधिक अवधि तक निबंधनऔर शर्तों के अध्यधीन बढ़ाया जा सकता है।

इच्छुक और पात्र एजेंसियां बोली दस्तावेज में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकती हैं। विस्तृत सारणी निम्नानुसार है:

<u>मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी</u> ।बोलियां केवल सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल वेबसाइट अर्थात् http://eprocure.gov.in/eprocure/appपर ही प्रस्तुत की जाएं।

(सोनी दहिया)

अवर सचिव,

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

सारणी

संगठन का नाम	विश्व मामलों की भारतीय परिषद् सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली- 110 001
निविदाकी प्रकार (खुली/सीमित/ईओआई/नीलामी/एकल)	खुली
निविदा कीश्रेणी (सेवाएं/माल/निर्माण-कार्य)	सेवाएं
अनुबंध का प्रकार/प्रपत्र (निर्माण कार्य/आपूर्ति/नीलामी/सेवा/क्रय/पैनल/विक्रय)	सेवाएं
उत्पाद श्रेणी	खानपान सेवाएं
जारी करने/प्रकाशन की तिथि	19/01/2020
बोली-पूर्व बैठक	22/01/2020
स्पष्टीकरण जारी करना, यदि कोई हो	27/01/2020
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	10/02/2020 [सायं 3:00बजे तक]
तकनीकी बोली खोलने की तारीख	10/02/2020 (3:30 बजे)
वित्तीय बोली खोलने की तारीख	बाद में सूचित किया जाएगा
बयाना जमा राशि	तकनीकी बोली के साथ "विश्व मामलों की भारतीय परिषद्" के पक्ष में नई दिल्ली के देय रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र)
बोली वैधता के दिन	90 दिन (निविदा खोलने की अंतिम तिथि से)
पत्राचार के लिए पता	सुश्री सोनी दहिया , अवर सचिव , आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली- 110001.
संपर्क नंबर	011-23317246-9
ईमेल पता	us@icwa.in; seminars@icwa.in

निबंधन और शर्तें

1. <u>बोलियां जमा करना</u>

ऑनलाइन बोलियां (सभी मामलों में पूर्ण) नीचे स्पष्ट किए गए अनुसार , दो कवर (तकनीकी और वित्तीय बोलियां) में ऑनलाइन अपलोड की जाएं :

i) तकनीकी बोली:-

तकनीकी बोली कवर में नीचे सूचीबद्ध दस्तावेज होने चाहिए:

- बयाना जमा राशि के लिए रुपए 50,000 (पचास हजार रुपये केवल) का डिमांड ड्रॉफ्ट
- अनुबंध - I के अनुसार तकनीकी बोली और पात्रता मानदंडों में उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों सहित सभी विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेज।
- अनुबंध - Vके अनुसार डाउनलोड किए गए बोली प्रपत्र के लिए वचन-पत्र [दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं]

ii) वित्तीय बोली :-

वित्तीय बोली में वित्तीय बोली के प्रपत्र के अनुसार विभिन्न खान-पान व्यंजन-सूची के लिए दरें उद्धृत की जाएं। कंपनी/फर्म/एजेंसी को सभी उप-श्रेणियों में दरें उद्धृत करनी होगी , यदि कोई हो। एल-1 बोलीदाता का निर्णय व्यंजन-सूची की सभी श्रेणियों की संचयी लागत के आधार पर किया जाएगा।

2. <u>बोली प्रस्तुत करने के दिशानिर्देश</u>

बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख और समय से बाद प्राप्त प्रस्ताव अथवा फैक्स और ईमेल के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिन बोलीदाताओं की बोलियां अयोग्य घोषित कर दी गई हैं , उनके साथ कोई चर्चा/संव्यवहार नहीं किया जाएगा। आईसीडब्ल्यूएका, कोई कारण बताए बिना , किसी भी या सभी बोलियों को ,आंशिक अथवा पूर्ण रूप में,स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

आईसीडब्ल्यूए,बिना सीमा सहित के ऐसे किसी भी दावे कोस्वीकार नहीं करेगा , जिसमें बोली तैयार करने से संबंधित खर्च अथवा ठेका देने तक अन्य कोई खर्चों का दावा किया गया हो।

विक्रेता इस दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुबंध की निबंधन और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ेगा और उनका पालन करेगा।

3. <u>बोलियों की तैयारी करना</u>

1) बोलीदाता को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए ।
2) कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़े ताकि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझा जा सके। कृपया , बोली दस्तावेजों को कितने कवर में प्रस्तुत किया जाना है , दस्तावेजों की संख्या-जिसमें प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री

शामिल है जिसे प्रस्तुत किया जाना है , का ध्यान रखें। इनमें से कोई भी विचलन होने पर बोली अस्वीकार हो सकती हैं।

3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज /सारणी में अंकित बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखना चाहिए।

अनुबंध-I

घोषणा पत्र (कंपनी के पत्र-शीर्ष पर)

हम, ...

यह प्रमाणित करते हैं कि इस निविदा विनिर्देश के संबंध में हमारे संगठन द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी और आंकडे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और पूर्ण हैं। मैंने ,विनिर्देशों, शर्तों और पूर्वापेक्षाओं को विस्तारपूर्वक पढ़ लिया है और अपेक्षाओं व विनिर्देशों का पालन करने पर सहमत हूं। यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे संगठन को निविदा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा , हम आगे प्रमाणित करते है कि हमारा संगठन , इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदंडों की सभी शर्तों को पूरा करता है।

इसके अलावा ,हम विशेष रूप से यह प्रमाणित करते हैं, कि हमारे संगठन को विगत तीन वर्षों में किसी संस्थागत एजेंसी/सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हैं। सूची से नहीं हटाया गया है अथवा अवकाश पर नहीं रखा गया है।	विक्रेता/निर्माता/एजेंट का नाम और पता
फोन	
ई-मेल	
संपर्क व्यक्ति का नाम	
मोबाइल नंबर	
जीएसटी नंबर	
पैन नंबर	
बोलीदाता का बैंक विवरण (बैंक का नाम)	
बैंक शाखा का पता और फोन नंबर	
आईएफएससी कोड	
बैंक का एमआईसीआर कोड	
बैंक खाता नंबर	
बैंक खाते का प्रकार	

अनुबंध की निबंधन और शर्तें

क. बोलियांप्रस्तुत करनेसेसंबंधितजानकारी

1. आईसीडब्ल्यूए के इस दस्तावेज में उल्लिखित खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाली एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

2. अनुबंध के कार्य -क्षेत्रकी अवधि शुरू में दो वर्ष की होगी , जिसे एजेंसी के संतोषजनक निष्पादन और आईसीडब्ल्यूए केविवेक पर समान निबंधन और शर्तों पर पारस्परिक सहमति से एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. निबंधन और शर्तों की एक प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरकिए जाएगें और निबंधन और शर्तों की स्वीकृति के रूप में तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जाएगी।

4. बोलीदाता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में रुपये 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का बयाना जमा राशि का भुगतान करेगा।

5. असफल बोलीदाताओ को, संविदा को अंतिम रूप देने के बाद बयाना जमा राशि , बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

6. सफल बोलीदाता को संविदा देने के बाद , बयाना जमा राशि,बिना किसी ब्याज के,वापस कर दी जाएगी और बोलीदाता को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में रुपए 1,00,000 के बराबर की राशि के लिए अलग से बैंक गारंटी जमा करनी होगी। निष्पादन प्रतिभूति सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख के बाद से साठ दिनों की अवधि तक मान्य रहनी चाहिए।

7. बोली, निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि तक आईसीडब्ल्यूए के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए वैध और खुली होगी और उद्धृत दरों में किसी प्रकार की भिन्नता और /अथवा सफल बोलीदाता द्वारा किसी भी आधार पर निविदा वापस लेने के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. बोलियों के विश्लेषण, मूल्यांकन और गणना में सहायता करने के लिए , आईसीडब्ल्यूए बोलीदाताओं से व्यक्तिगत रूप से अपनी बोलियों के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया का अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा, किंतु प्रस्तावित बोली की कीमत या मूल में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. यदि दो या अधिक एजेंसियों ने समान दरेंउद्धृत की है , तो आईसीडब्ल्यूए का सक्षम प्राधिकारी संविदा देने के लिए उस एजेंसी का निर्णय , फर्म के विगत निष्पादन और अनुभव की अवधि आदि की रिपोर्ट के आधार पर करेगा। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

10. आईसीडब्ल्यूए, का कोई भी कारण बताए बिना , किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार, करने का अधिकार सुरक्षित है। आईसीडब्ल्यूए का किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है यदि उसकी राय में बोली गैर प्रतिक्रियात्मक है अथवा इस प्रक्रिया में बोलीदाता को किसी भी प्रकार की हानि की देयता के बिना किसी भी शर्त/विनिर्देश का उल्लंघन करती है।

11. केवल उन्हीं एजेंसियों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोलियों में अर्हता प्राप्त हो।

12. निविदा दस्तावेज किसी भी स्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है।

13. वित्तीय बोली में न्यूनतम दरें उद्धृत करने के आधार पर निम्नतम बोलीदाता को निर्धारण किया जाएगा।

14. इस निविदा के संदर्भ में , किसी भी परिवर्तन को वेबसाइट (आईसीडब्ल्यूएवेबसाइट की सार्वजनिक घोषणाओं में निविदा अनुभाग) के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

15. बोली प्रस्तुत करने जैसेकि बोली प्रस्तुत करने की तैयारी करने, बोली प्रस्तुत करने, मेलिंग करने, स्थान देखने के लिए कोई निजीगत यात्रा , व्यक्तिगत रूप से बोलियां जमा करने , बाद में प्रसंस्करण करने आदि के संबंध में किए गए सभी खर्च बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।आईसीडब्ल्यूएनिविदा प्रक्रिया के परिणाम पर ध्यान दिए बिना, इसके लिए उत्तरदायी/देय नहीं होगी।

16. बोली निर्धारित स्वरूप के अनुसार ही प्रस्तुत की जा सकती है।

17. प्रस्तुत की गई बोली अमान्य हो जाएगी यदि:

    क. बोलीदाता अपात्र पाया जाता है।

    ख. बोलीदाता,बयाना जमा राशि सहित बोली दस्तावेज में निर्धारित सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है।

    ग. यदि अपलोड किए गए निविदा दस्तावेजों और बोलीदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हार्ड प्रतियों के बीच कोई विसंगति पाई जाती है।

ख. <u>पात्रता मानदंड और दस्तावेज प्रस्तुत करना</u>: "विश्व मामलों की भारतीय परिषद् को खाद्य खानपान सेवा प्रदान करने" के लिए निविदा में भाग लेने हेतु न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नलिखित है :

i. फर्म संबंधित सांविधिक/अधिनियम के अंतर्गत खानपान सेवाओं के लिए दिल्ली एनसीआर में अवस्थित होनी चाहिए और खानपान सेवाओं के संचालन के लिए एकल स्वामित्व अथवा पंजीकृत फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए।

ii. इसके स्वामित्व के संबंध में सभी ऋण-भार , देनदारियों, विवादों और मुकदमों से मुक्त होना चाहिए और बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमोदन/अनुमतियां होनी चाहिए :

iii. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा जारी वैध खाद्य लाइसेंस /फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र।

iv. व्यापार और श्रम लाइसेंस।

v. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र।

vi. ईएसआई और ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र।

vii. पैन कार्ड की कॉपी।

viii. खाद्य कैटरर द्वारा किसी भी सरकारी कार्यालय/सरकारी संस्थान/किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय या प्रतिष्ठित प्राइवेट/कारपोरेट संगठन में एकल/अनेक अनुबंध निष्पादित किया हुआ होना चाहिए जिसकी राशि विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रुपये 50 लाख हो।

ix. विगत 3 वर्षों (वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19) की अवधि के सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित नवीनतम वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत की जाएं।

x. इस आशय की घोषणा कि कैटरर को किसी भी संगठन ने किसी भी समय काली सूची में नहीं डाला है और उक्त कैटरर के विरूद्ध कोई आपराधिक/दीवानी मामला लंबित नहीं है।

xi. कैटरर की सभी आवश्यक सुरक्षा और अग्नि के खतरों से निपटने सहित अपनी उपयुक्त रसोई (अस्थायी शेड/झोपड़ी/आंशिक रूप से निर्मित न हो) होनी चाहिए।

xii. फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित वचन-पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि "खाद्य खानपान सेवाओं के लिए निविदा" संख्या आईसीडब्ल्यूए/551/9/2018 दिनांक 03.10.2019 दस्तावेज में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तें स्वीकार्य है।

ग. बोली पूर्व बैठक : बोली पूर्व बैठक,नई दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता , जो स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं , वे बैठक में भाग ले सकते हैं।

घ. भोजन परोसने का समय:

i. सारणी के आधार समय भिन्न-भिन्न हो सकता है जिसे पहले से सूचित किया जाएगा। विभिन्न दिनों में भोजन परोसने के लिए स्थान भी सारणी के आधार पर भिन्न हो सकता है जिसे पहले से सूचित किया जाएगा।

ii. भोजन निर्धारित समय से 15 मिनट पहले आयोजन स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। तथापि, आईसीडब्ल्यूए के सक्षम अधिकारी की पूर्व सूचना अथवा अनुमोदन से अपरिहार्य परिस्थितियों में विलंब के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

iii. भोजन परोसने के लिए प्रत्येक स्थान में प्रतिभागियों की गिनती आईसीडब्ल्यूए प्रतिनिधि द्वारा कार्यक्रम-दर-कार्यक्रम के आधार पर की जाएगी।

ङ. जनशक्ति तैनाती: कैटरर को भोजन परोसने के लिए सभी समय पर आईसीडब्ल्यूए कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त जनशक्ति तैनात करना आवश्यक है। कैटरर साफ-सफाई का ध्यान रखेगा।

च. भोजन परोसने के लिएकटलरी/क्रॉकरी: कैटरर को सभी स्थानों पर भोजन परोसने के लिए अच्छी गुणवत्ता और अपेक्षित संख्या में कटलरी/क्रॉकरी मदों जैसे ग्लास , परोसने वाले बाउल, प्लेटआदि उपलब्ध करवाने होगें। टूटने/क्षति के कारण वस्तुओं की भरपाई की जिम्मेदारी केवल कैटरर की है। भोजन परोसने के लिए कैटरर द्वारा लाई गई सभी वस्तुओं को आयोजन के बाद वापस लेजाना होगा।

छ. अलंकरण:कैटरर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी टीम पॉलिश किया हुआ जूता और औपचारिक वर्दी पहनें, सिर की टोपियां और हाथ के दस्ताने पहनें और साफ-सुथरी रहे।

ज. कचरा कवर वाले कूड़ेदान : कैटरर को खाना परोसने के क्षेत्र में सभी स्थानों पर कूड़ेदानऔर ढ़क्कन उपलब्ध करवाएगा और दैनिक आधार पर कूड़े के निस्तारण की जिम्मेदारी केवल कैटरर की है।

झ. चिकित्सा जांच और बीमा: जो व्यक्ति भोजन तैयार/परोसते हैं , उन्हें उच्च स्तर की स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। वहां नियोजित व्यक्ति चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ और खाना पकाने और सेवा करने के लिए उपयुक्त हों। कैटरर किसी दुर्घटना और चोटों के लिए उनका व्यापक बीमा करवाएगा।

ञ. खाद्य जांच रिपोर्ट: कैटरर अपनी कीमत पर आईसीडब्ल्यूए द्वारा निर्दिष्ट प्रयोगशाला में भोजन की जांच करवाएगा और आईसीडब्ल्यूए द्वारा मांग किए जाने पर उपयुक्तता की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ट. रसोईघर का निरीक्षण: कैटरर आईसीडब्ल्यूएप्रतिनिधियों को निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

ठ. अन्य निबंधन और शर्तें: आईसीडब्ल्यूएका, कोई किसी भी कारण बताए बिना , किसी भी समय, किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने अथवा इस प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

क. बोलीदाता, जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं ; अथवा पात्रता मानदंडों के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं ; अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करतें हैं जो पूर्ण और वैध हों - अयोग्य घोषित किए जाएंगे और उन्हें ई-प्रापण के माध्यम से वाणिज्यिक बोली (बाद में) में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। निविदा की अंतिम तिथि के 90 दिनों तक बोली प्रस्ताव मान्य होगा।

ख. योग्यता मानदंडों, परिसरों के रखरखाव , सरकारी/सांविधिक अनुमोदनों और मंजूरी की उपलब्धता , पट्टे की निबंधन और शर्तों आदि को स्वीकार करने और पालन करने की स्पष्ट इच्छाशक्ति से विचलन करने को गंभीर विचलन माना जाएगा।

ग. बोलीदाता से निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, निबंधनों और शर्तों को पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। यदि बोलीदाता, आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने अथवा निविदा दस्तावेज के अनुक्रियाशीलन में बोली प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो यह बोलीदाता के अपनेजोखिम पर होगा और परिणामस्वरूप बोली अस्वीकार की जा सकती है। अपूर्ण बोलियां , देर से प्राप्त हुईबोलियां ,निविदा दस्तावेज में निहित विनिर्देशों और निर्देशों के अनुरूप प्राप्त नहीं बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

घ. परिषद् विस्तृत मूल्यांकन से पहले , निविदा दस्तावेज के लिए प्रत्येक बोली की पर्याप्त प्रतिक्रियात्मकता का निर्धारण करेगी। एक पर्याप्त प्रतिक्रियात्मकता बोली वह है जो बोली/निविदा दस्तावेज के सभी निबंधनों और शर्तों के अनुरूप हो और बिना किसी गंभीर दोष और विचलन के हो। यदि कोई बोली पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियात्मकता नहीं है , तो इसे परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता द्वारा बोलीको बाद मेंगैर-अनुरूपता में सुधार करके प्रतिक्रियात्मकता नहीं बनाया जा सकता है। केवल उन्हीं बोलीदाताओं को उनकी प्रतिक्रियात्मकता के बारे में परिषद् द्वारा सूचित किया जाएगा जिनकी तकनीकी बोलियां पर्याप्त पाई गई हैं। परिषद् केवल उन्हीं तकनीकी बोलियों की मूल्य/वित्तीय/वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन और तुलना करेगी जो पर्याप्त

प्रतिक्रियात्मकता हो। परिषद्केवल उन सफल बोलीदाताओं का पैनल तैयार करेगी , जो एल-1 मूल्य के आधार पर तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन में योग्य पाए गए है।

ङ. परिषद् केवल शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं के साथ पत्राचार करेगी।

च. किसी भी रूप में प्रचार करने , प्रभावित करने का कोई भी कृत्य बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार कर देगा और परिषद्का , जैसा यह उचित समझे , इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है (जैसे वर्तमान और भविष्य के लिए बोलीदाता को काली सूची में डालना)। ऊपर निहित किसी भी बात के बावजूद , परिषद्का निविदा समिति द्वारा अनुशंसित सभी या किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और असफल बोलीदाताओं को कोई कारण प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है।

ड. सांविधिक अपेक्षाएं :

क. कैटरर खानपान सेवाएं प्रदान करने से संबंधित समय-समय पर लागू सभी अधिनियमों , विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगाऔर इस संबंध में उपयुक्त सरकार/स्थानीय निकायों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले सभी करों , ऋणों और/अथवा लेवी का भुगतान करेगा , और कैटरर इन अधिनियमों , कानूनों और नियमों में से किसी भी उल्लंघन के मामले में परिषद को क्षतिपूर्ति करेगा।

कैटरर, विक्रेता द्वारा अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त अधिनियमन के किसी भी प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में किसी भी चूक या पालन न करने के लिए परिषद को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा। हालांकि , कैटरर उल्लिखित किसी भी अधिनियमन के किसी भी प्रावधान का पालन न करने अन्यथा के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए दावे के निपटान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा , परिषद का विक्रेता द्वारा यथोपरि उल्लिखित देय किसी भी राशि को सीधे निपटाने और परिषद् द्वारा कैटरर को देय किसी राशि की वसूली करने अथवा जिसके न होने पर विक्रेता द्वारा परिषद् के ऋण के रूप में देय राशि की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है।

ख. कैटरर के पास अपने नाम पर अलग ईएसआई/ईपीएफ कोड नंबर होगा और संबंधित अधिकारियों को समय पर त्वरित भुगतान सुनिश्चित करेगा और संबंधित अधिकारियों को इस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कामगारों के अलग-अलग ईपीएफ और ईएसआई कोड नंबर हो। विक्रेता ईपीएफ और ईएसआई का प्रेषण व्यैक्तिक कामगारों के संबंधित खातों में सुनिश्चित करेगा। आईसीडब्ल्यूए का रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार सुरक्षित है।

ग. विक्रेता परिषद् के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से को सबलेट , स्थानांतरित या आवंटित नहीं करेगा। संविदा/करार गैर-हस्तांतरणीय है।

घ. विक्रेता सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा और सेवा समय के दौरान खाद्य पदार्थों की निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी शर्त की विफलता या उल्लंघन की स्थिति में और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गिरावट या उसकी मात्रा में कमी के मामले में, आईसीडब्ल्यूए पैनल को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

ढ. निष्पादन बैंक गारंटी:

क. सफल बोलीदाता का बयाना जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

ख. सफल बोलीदाता को रुपये1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) के बराबर के मूल्य के रूप में बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी।

ग. यदि फर्म,संविदा की किसी भी निबंधन या शर्त को पुरा करने में विफल रहती है , तो बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी , इसके अलावा फर्म को काली सूची में भी डाला जा सकता है

घ. बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति राशि को , कैटरर को बिना किसी ब्याज के , विधिवत निष्पादन करने और सभी प्रकार से संविधा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।

ण. बिल भुगतान:

क. कैटरर को भोजन की आपूर्ति के संबंध में सभी अभिलेखों को बनाए रखना होगा और इसे नियमित आधार पर आईसीडब्ल्यूए प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित करवाना होगा।

ख. कैटरर से सभी सहायक दस्तावेजों के साथ बिल/चालान प्राप्त करने पर 30 कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन मोड के माध्यम से मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। कैटरर को ऑनलाइन भुगतान के लिए परिषद् की लेखा शाखा को पूरा बैंक विवरण प्रदान करना होगा।

ग. उद्धृत इकाई दरें संविदा की पूरी अवधि के दौरान समान रहेंगी।

त. अनुबंध अवधि:

क. यह संविदा प्रारंभ में दो वर्ष तक की अवधि के लिए होगा जिसे निष्पादन और प्राप्त प्रतिपुष्टि केआधार पर आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

ख. संविदा अवधि के दौरान, परिषद् लागत में वृद्धि, स्थानीय प्राधिकारी आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों में वेतन संशोधन आदि कारणों से दरों में संशोधन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं करेगी।

थ. अनुबंध समाप्ति के लिए शर्तें :खाद्य संविदा को**,** कोई कारण बताए बिना , दोनों पक्षों की ओर से न्यूनतम 30 दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

द. मध्यस्थता :

क.इस करार के अथवा इसके संबंध में उपजे किसी प्रश्न , विवाद अथवा मतभेद (उन मामलों को छोड़कर, जिनपर निर्णय का इस करार में प्रावधान किया गया है) को महानिदेशक (आईसीडब्ल्यूए) के एकल मध्यस्थ को अथवा महानिदेशक (आईसीडब्ल्यूए) के कार्यों सहित सुपुर्द अधिकारी की एकल मध्यस्थता में अथवा ऐसे अधिकारी को चाहे उसे किसी पदनाम से पुकारा जाए (इसके बाद कथित अधिकारी के रूप में संदर्भित) और यदि महानिदेशक अथवा कथित अधिकारी ऐसी कार्य करने में असमर्थ है अथवा अनिच्छुक है , तो महानिदेशक (आईसीडब्ल्यूए) अथवा कथित अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थ नियुक्त

करने का करार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 के अनुरूप होगा। ऐसी किसी नियुक्ति पर इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी है अथवा उसे उस कार्य का संव्यवहार करना है जिससे यह मामला संबंधित है अथवा सरकारी कर्मचारी के रूप में उसके कर्तव्यों के दौरान, उसने विवाद के सभी अथवा किसी मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मध्यस्थ का पंचाट करार के दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यदि मध्यस्थ जिसे मामला मूल रूप में संदर्भित किया गया था, का स्थानातंरण हो जाता है अथवा वह अपना कार्यालय रिक्त कर देता है अथवा किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ रहता है तो महानिदेशक (आईसीडब्ल्यूए) अथवा कथित अधिकारी करार की शर्तों के अनुरूप किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करेगा और ऐसा नियुक्त किया गया व्यक्ति वहां के कार्रवाई शुरू करेगा जहां से उसके पूर्वाधिकारी ने छोड़ा था।

अनुबंध-**II**

<u>करार का मसौदा</u>

यह करार _______________ दिन _______________ माह _______________ दो हजार बीस को एक तरफ विश्व मामलों की भारतीय परिषद् , जिसे इसके बाद आईसीडब्ल्यूए कहा जाएगा , और दूसरी तरफ मैसर्स_______________ जिसका पंजीकृत कार्यालय _______________ पर है, जिसे इसके बाद खानपान सेवाएं प्रदान करने वाली 'एजेंसी' कहा जाएगा, को किया जाता है।

जबकि आईसीडब्ल्यूए नीचे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी नियुक्त करने के लिए इच्छुक है:

1. आईसीडब्ल्यूए में तैनात खानपान सेवा कर्मियों से संबंधित एजेंसी विभिन्न श्रम , औद्योगिक और लागू अन्य कानूनों और सभी सांविधिक दायित्वों जैसे मजदूरी , भत्ते, मुआवजा, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, ईएसआई, बीमा आदि के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। आईसीडब्ल्यूए की इस संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी।
2. एजेंसी आईसीडब्ल्यूए में उसके द्वारा तैनात कर्मियों के संबंध में किसी भी दुर्घटना/चिकित्सा/स्वास्थ्य संबंधी देयता/मुआवजे के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। आईसीडब्ल्यूए की इस संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी।
3. अनुदेश/करार का उल्लंघन अथवा तथ्यों का छुपाने पर बिना किसी संदर्भ या बिना नोटिस अवधि के करार को निरस्त कर दिया जाएगा।
4. संविदा को दोनोंमें से,किसी भी तरफ से,एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
5. संविदा के अनुपालन न करने के मामले में, आईसीडब्ल्यूए का निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित है:

   क. संविदा को रद्द करना बहाल करना; और/अथवा

   ख. खाद्य की गुणवत्ता अथवा व्यवहार के बारे में बार-बार शिकायत मिलने की स्थिति में संविदा के कुल वार्षिक मूल्य का 10% तक जुर्माना लगाना।
6. करार पर हस्ताक्षर करने के समय बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत रुपये 1,00,000 के बराबर की बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति को करार समाप्त होने/पूरा होने के तीन महीने बाद , बिना ब्याज के वापसकर दिया जाएगा।
7. एजेंसी अपने आईसीडब्ल्यूए में तैनात कर्मियों को मजदूरी और अन्य देयों के समय पर मासिक भुगतान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
8. एजेंसी द्वारा नियोजित खानपान सेवा कार्मिक,आईसीडब्ल्यूए के कर्मचारी बनने का दावा नहीं करेंगे और एजेंसी में नियोजित कर्मियों और आईसीडब्ल्यूए के बीच कोई कर्मचारी और नियोक्ता संबंध नहीं होगा।

9. संविदा अवधि के दौरान एजेंसी को देय दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। एजेंसी समय-समय पर संलग्न निबंधनों और शर्तों और संशोधनों का अनुपालन करने के लिए सहमत है।

10. एजेंसी पर निबंधनों और शर्तों और करार के निर्वचन के संबंध में आईसीडब्ल्यूए का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

11. विवाद, निर्वचन के मामलें में आईसीडब्ल्यूए का निर्णय अंतिम माना जाएगा। आईसीडब्ल्यूए का किसी अथवा सभी बोलियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप में , बिना कोई कारण बताए , स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

यह करार_______________दिन ___________माह ___________ दोहजार बीस से प्रभावी होगा और दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

दोनों पक्षों ने साक्ष्यों के समक्ष दिल्ली में अपनेहस्ताक्षर किए है और मुहर लगाई है

आईसीडब्ल्यूए के लिए और उसकी ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरी:

पदनाम :

फर्म के लिए और उसकी ओर से :

अनुबंध-III

तकनीकी बोली

एक अलग सीलबंद लिफाफे में दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना है			
क्रम संख्या	**दस्तावेज़**	**सामग्री**	**पृष्ठों की संख्या**
1.	तकनीकी बोली	बयाना जमा राशि	
2.		एफएसएसएआई द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस की प्रति	
3.		फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र	
4.		व्यापार और श्रम लाइसेंस	
5.		पैन कार्ड की कॉपी	
6.		जीएसटी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और जीएसटी की अद्यतन फाईल की गई विवरणी की पावती	
7.		ईएसआई और ईपीएफ पंजीकरण की प्रति	
8.		सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षों (2016-2017, 2017-2018 और 2018-19) के कारोबार की लेखापरीक्षित प्रति	
9.		किसी भी सरकारी/सरकारी संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान/स्वायत्त निकायों या प्रतिष्ठित प्राइवेट/कॉर्पोरेट संगठन को सेवा देने के प्रमाण के रूप में कार्य-आदेश की प्रतिलिपि	
10.		स्टांप पेपर पर इस आशय की घोषणा कि किसी भी संगठन द्वारा किसी भी समय फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है और उक्त फर्मों के विरुद्ध कोई आपराधिक/दीवानी मामला लंबित नहीं है ।	
11.		अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित फर्म के पत्र-शीर्ष पर हस्ताक्षरित वचन-पत्र जिसमें कहा गया हो कि ‘‘खाद्य खानपान सेवाओं के लिए निविदा दस्तावेज" में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तें स्वीकार्य हैं।	

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

बोलीदाता का प्राधिकृत हस्ताक्षरी

(नाम और मुहर सहित)

<u>वित्तीय बोली</u>

क्रम संख्या	विवरण	प्रति व्यक्ति दर
1.	उत्तर भारतीय मध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन 2 मांसाहारी और 2 मिष्ठान सहित (मदेंअनुबंध - II के अनुसार)	
2.	उत्तर भारतीय मध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन 1 मांसाहारी और 1मिष्ठान सहित (अनुबंध - I के अनुसार मदें - किंतु 1 मांसाहारी और 1 डेजर्ट)	
3.	उत्तर भारतीय हाई-टी 3 मांसाहारी; 3 शाकाहारी और 2 डेजर्ट सहित (मदेंअनुबंध - II के अनुसार)	
4.	उत्तर भारतीय हाई-टी 2मांसाहारी; 2 शाकाहारी और 1 डेजर्ट सहित (अनुबंध - II के अनुसार मदें - किंतु 2 मांसाहारी और 2 शाकाहारी)	
5.	मिनी हाई-टी बिस्कुट सहित चाय/कॉफी; 3 प्रकार के सैंडविच (चिकन, अंडा और शाकाहारी/पनीर) और 2 तली हुई चीजें	
6.	कांटिनेंटल मध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन 2 मांसाहारीऔर 2 डेजर्ट सहित (मदेंअनुबंध - III के अनुसार)	
7.	कांटिनेंटल मध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन 1 मांसाहारी और 1डेजर्ट सहित (अनुबंध - III के अनुसार मदें - किंतु 1 मांसाहारी और 1 डेजर्ट)	
8.	दक्षिण भारतीय मध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन 1 मांसाहारी और 1डेजर्ट सहित (मदेंअनुबंध - IV के अनुसार)	
9.	हाई-टी के साथ जूस और कोल्ड ड्रिंक अतिरिक्त	

सत्र के मध्य चाय - 1

1.	मिश्रित बिस्कुट (मीठे और नमकीन) - 2	
2.	ब्लैक टी, ग्रीन टी, कॉफी - सभी	

सत्र के मध्य चाय - 2

1.	मिश्रित बिस्कुट (मीठे और नमकीन) - 2	
2.	ब्लैक टी, ग्रीन टी, कॉफी - सभी	
3.	ब्राऊनीज/चॉकलेट वालनेट केक और चीज़ स्टिक	

कार्यक्रमों के दौरान मेज पर परोसने वाली मदें

1.	चॉकलेट प्लैटर	

टिप्पणी:i) लागू करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

ii) आईसीडब्ल्यूए द्वारा कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।

iii) अनुबंध अवधि के दौरान दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

iv) उपरोक्त व्यंजन-सूची के लिए न्यूनतम गारंटी 20 है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

बोलीदाता का प्राधिकृत हस्ताक्षरी

(नाम और मुहर सहित)

<u>अनुबंध - I</u>

<u>(उत्तर भारतीय मध्याहन भोजन/रात्रि भोजन,2 मांसाहारी और 2 मिष्ठान सहित)</u>

क्रम संख्या	**मद**
1.	2 प्रकार के सलाद
2.	1 सूप के साथ ब्रेड-स्टिक (कोई भी एक)
3.	2 मांसाहारी
4.	1 चावल का व्यंजन
5.	1 पनीर की सब्जी
6.	1 दाल/छोले/कढ़ी/राजमा व्यंजन
7.	1 मौसम की सब्जी
8.	1 दही व्यंजन
9.	मिश्रित भारतीय ब्रेड (नान, रोटी, पराठा)
10.	2 डेजर्ट
11.	अतिरिक्त (अचार/पापड़/चटनी और मिनरल वाटर)

<u>अनुबंध - II</u>

<u>(उत्तर भारतीय हाई-टी, 3 मांसाहारी; 3 शाकाहारी और 2 मिष्ठान सहित)</u>

क्रम संख्या	मद
1.	चायकॉफी के साथ/ बिस्कुट ब्लैक टी, ग्रीन टी, कॉफी और दो प्रकार के बिस्कुट
2.	3 मांसाहारी (1 बार-बे-क्यू, 1फ्राईड और 1 सैंडविच/पैट्टी)
3.	3 शाकाहारी (1 बार-बे-क्यू, 1 फ्राईड और 1 सैंडविच/पैट्टी)
4.	2 डेजर्ट

<u>अनुबंध - III</u>

<u>(कांटिनेंटल मध्याह्न भोजन/रात्रि भोजन, 2 मांसाहारीऔर 2 डेजर्ट सहित)</u>

क्रम संख्या	**मद**
1.	2 प्रकार के सलाद
2.	1 सूप के साथ ब्रेड-स्टिक (कोई भी एक)
3.	2 मांसाहारी
4.	1 चावल का व्यंजन
5.	1 पनीर की सब्जी
6.	2 सब्जी
7.	मिश्रित कांटिनेंटल ब्रेड
8.	2 डेजर्ट
9.	अतिरिक्त (सॉस/मक्खन और मिनरल वॉटर)

<u>अनुबंध - IV</u>

<u>(दक्षिण भारतीय मध्याहन भोजन/रात्रि भोजन, 1 मांसाहारी और 1डेजर्ट सहित)</u>

क्रम संख्या	मद
1.	2 प्रकार के सलाद
2.	सूप (कोई भी एक)
3.	मांसाहारी (कोई भी एक)
4.	चावल (कोई भी एक किस्म)
5.	पनीर की सब्जी (कोई भी एककिस्म)
6.	इडली और सांभर
7.	वड़ा और सांभर
8.	मसाला/सादा डोसा, सांभर के साथ
9.	उत्तपम
10.	दही (कोई भी एक)
11.	मिष्ठान (किसी भी एक किस्म)
12.	अतिरिक्त - विभिन्न प्रकार की चटनी